JCMS no. → 2025/114

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत जिला कलेक्टर मुकाम कोटा

धनराज *बनाम* *रामेश्वर वगै0*

किस्म मुकद्दमा – ट्रान्सफर एप्लीकेशन प्रकरण संख्या 4/2025 में पारित निर्णय में टाईपिंग दुरूस्ती करने बाबत् । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी

प्रकरण **संख्या** 12 वर्ष **2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29-07-2025	प्रार्थी धनराज मित्तल द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.7.2025 में न्यायालय के पूर्व निर्णय की पालना करते हुये निर्णय दिनांक 29.12.2014 के स्थान पर 30.4.2025 अंकित हो गया जो टाईपिंग मिस्टेक है उसे न्यायहित में दुरूस्त कर 30.4.2025 के स्थान पर 29.12.2014 अंकित किया जावें । हमने मूल पत्रावली तलब की, पत्रावली का अवलोकन किया जिस अनुसार निर्णय दिनांक 16.7.2025 में पूर्व निर्णय दिनांक 29.12.2014 के स्थान पर त्रुटिपूर्ण दिनांक 30.4.2025 अंकित हो गई । ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 4/2025 उनवान धनराज बनाम रामेश्वर वगै0 निर्णय दिनांक 16.7.2025 के पेरा नं0 6 की तीसरी लाईन में पूर्व निर्णय दिनांक 30.4.2025 के स्थान पर 29.12.2014 संशोधन के आदेश दिया जाता है । दिनांक 30.4.2025 के स्थान पर 29.12.2014 पढ़ा जावें, तद्नुसार मूल निर्णय में लाल स्याही से इस आशय का नोट अंकित किया जावें । प्रार्थना पत्र निर्णित शुमार होकर मूल प्रकरण में शामिल किया जावें । जिला कलक्टर कोटा	

जिला कलक्टर कोटा

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—पीयूष समारिया,I.A.S.

प्रकरण संख्या —04 / 2025 (अपील)
जीसीएमएस नं0 2025 / 73

धनराज मित्तल पुत्र श्री दुर्गालाल मिततल निवासी गुमानपुरा कोटा

——प्रार्थी.

बनाम

1. तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा
2. रामेश्वर मित्तल पुत्र दुर्गालाल मित्तल
3. महावीर मित्तल पुत्र दुर्गालाल मित्तल
4. राकेश मित्तल पुत्र दुर्गालाल मित्तल
5. श्रीमति शकुन्तला मित्तल पुत्री दुर्गालाल मित्तल पत्नि श्री सुमीत प्रकाश छामूनियां, निवासी हाल ए—287, शिवम एनक्लेव, बजरंग नगर कोटा
6. श्रीमति मन्जू मित्तल पुत्री दुर्गालाल मित्तल पत्नि इन्द्र कुमार जैन निवासी फ्लेट नं0 503, लाईफ स्टाईल मल्टी स्टोरी स्टेशन रोड कोटा
7. श्रीमति कृष्णा मित्तल पुत्री दुर्गालाल मित्तल पत्नि हुकम चन्द जैन निवासनी सम्राट होटल के पीछे, नयापुरा कोटा हाल निवास 108, शिवम एनक्लेव फ्लैट्स बजरंग नगर कोटा
8. श्रीमति किरण मित्तल पुत्री दुर्गालाल मित्तल, पत्नि सूर्यप्रकाश गर्ग निवासनी हाल अहानी पावरप्रोजेक्ट कॉलोनी, गोविन्दया (महाराष्ट्र)

——रेस्पोडेन्ट.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235रा0टी0एक्ट बाबत ट्रान्सफर करने कार्यवाही नामान्तरकरण संख्या 253, मि0सं0 20 / 15 उनवान धनराज मिततल बनाम रामेश्वर, सरकार वगै0

उस्थिति

1. श्री शम्भूदयाल विजय अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री वीरेन्द्र कुमार राठौर, अभिभाषक अप्रार्थी नं0 2 से 4

निर्णय

दिनांक— 16 .07.2025

1. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार लाडपुरा के नामान्तरकरण संख्या 253, मि0नं0 20 / 15 उनवान धनराज मिततल बनाम रामेश्वर, सरकार वगै0 की कार्यवाही को अन्तर्गत धारा 235 रा0टी0एक्ट के अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित कराने हेतु प्रस्तुत किया है ।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई । अप्रार्थी नं0 2 से 4 की ओर से अभिभाषक श्री वीरेन्द्र कुमार राठौर का वकालतनामा पेश हुआ तथा वकील अप्रार्थी ने अपना जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है । वकील उभयपक्ष उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।
3. वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम आलनिया की आराजी किता 11 की रकबा 4.21 हे0 भूमि खातेदार दुर्गालाल जी के फौत होने के उपरान्त उनके सभी वारिसान के नाम इन्तकाल संख्या 253 खोला गया था, जिसके सम्बन्ध में उक्त नामान्तरकरण की अपील जिला कलक्टर कोटा के यहां, संभागीय आयुक्त कोटा के याहं व राजस्व मण्डल अजमेर तक गई, सभी ने जिला कलेक्टर कोटा के निर्णय को यथाव रखा और प्रकरण रिमाण्ड करते हुए दोनों पक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर न्यायोचित निर्णय पारित करने का निर्देश प्रदान किया गया था, जिसके सम्बन्ध में पुनः सुनवाई कर सीलदार लाडपुरा को नामान्तरकरण पर आदेश प्रदान करना था । तहसीलदार लाडपुरा ने उक्त पत्रावली बिना प्रार्थी से पूछे नायब तहसीलदार मण्डाना के यहां चुपचाप फर्जी वसीयत के

गवाहान को प्रस्तुत कर दिया जिनसे कोई जिरह का अवसर भी प्रार्थी को नहीं दिया गया जिस पर प्रार्थी द्वारा जिरह खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा स्वीकार कर उक्त गवाहान से जिरह हेतु प्रार्थी को अवसर प्रदान किया और इस हेतु गवाहन को तलब किया गया । जिस पर अप्रार्थी रामेश्वर ने आज तक गवाहान जिरह हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये और आदेश दिनांक 9.9.2016 को जो न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा जिरह हेतु गवाहों को प्रस्तुत करने का आदेश दिया था उसकी कोई पालना नहीं की और उसके 5 साल बाद दिनांक 20.10.2021 को रामेश्वर द्वारा तहसीलदार मण्डाना के आदेश दिनांक 9.9.16 को रिव्यू करने का प्रार्थना पत्र 20.10.2021 को प्रस्तुत किया जिस पर आज तक बहस सुनने के उपरान्त कोई आदेश पारित नहीं किया गया है । इसी प्रकार एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी धनराज द्वारा दिनांक 8.5.24 को प्रस्तुत किया गया था कि उक्त कार्यवाही में पूर्व से एक प्रार्थना पत्र धारा 10 सीपीसी का प्रस्तुत कर रखा है जिसमें भी पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा बहस सुनी जा चुकी थी, किन्तु उनका स्थानान्तरण हो गया था इसलिये उस पर भी बहस सुनी जावें, क्योंकि उक्त प्रकरण में सम्बन्धित समस्त आराजी के बंटवारे का वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिये उक्त कार्यवाही को वाद के निस्तारण तक स्थगित किया जावें, जिस पर भी पीठासीन अधिकारी द्वारा आज तक कोई निर्णय नहीं दिया गया है और वर्तमान पीठसीन अधिकारी को भी यह दोनों प्रार्थना पत्र फ्लैग लगाकर प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बता दिया गया था इसमे धारा 10 सीपीसी एवं रिव्यू प्रार्थनापत्र दिनांक 20.10.2021 पर बहस सुनी जाकर निर्णय किया जाना आवश्यक है, क्योंकि मामला वसीयत की जांच का है ओर वसीयत के गवाहान से जिरह होना न्यायहित में अति आवश्यक है जिनको आज तक न्यायालय के सक्षम अप्रार्थी द्वारा जिरह हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है इससे भी प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी अपनी फर्जी वसीयत की सच्चाई न्यायालय के समक्ष नहीं लाना चाहता है, इसलिये बाला बाला मिलीभगत कर बहस फाईनल करना चाहता है और इस हेतु चुपचाप मामले को निर्णित करने हेतु उसके द्वारा चुपचाप लिखित बहस भी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसकी जनकारी होने के बाद पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी की कोई भी बात सुनने से मना कर दिया, इस प्रकार तहसीलदार लाडपुरा से प्रार्थी को न्याय प्राप्त होने की कोई उम्मीद नही रही है और प्रार्थी उक्त नामान्तरकरण कार्यवाही को तहसीलदार लाडपुरा के यहां से अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित करवाना चाहता है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा के यहां जैरकार कार्यवाही प्रकरण संख्या 20/15 उनवान धनराज बनाम रामेश्वर वगै0 नामान्तरकरण संख्या 253 दिनांक 30.4.2013 को उक्त न्यायालय से किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किये जाने का आदेश प्रदान करें ताकि प्रार्थी को उचित न्याय प्राप्त हो सकें ।

4. वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब एवं बहस में कथन किया है कि तहसीलदार लाडपुरा कोटा के यहां लम्बित नामान्तरकरण की कार्यवाही के बाबत प्रार्थी के तृतीय मर्तबा ट्रान्सफर पीटीशन पेश की गई, और ऐन केन प्रकारेण 11 वर्षो से लम्बित इन्तकाल की कार्यवाही को प्रभावित करने व उसका निर्णय ना हो, इस कारण तृतीय मर्तबा झूंठे आरोपों पर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है । स्व0 दुर्गालाल का दिनांक 2.2.2013 को देहान्त हो गया था, प्रार्थी जो कि दुर्गालाल जी का पुत्र तो है लेकिन वह वर्ष 1964–65 में ही लोडीलाल जी के गोद जा चुका था, और उसने ही यह जानकारी दी कि दुर्गालाल जी ने आराजी के बाबत वसीयतनामा अप्रार्थी कम 2 लगायत 3 के पक्ष में निष्पादित कर रखा था, और उसने अखबार के शोक सन्देश पर सभी पुत्र व पुत्रियों के नाम दिनांक 30.4.2013 को नामान्तरकरण संख्या 253 खुलवा लिया । जिसकी जानकारी होने पर अप्रार्थीगण ने न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा में अपील संख्या 159/2013 प्रस्तुत की गई जिस पर माननीय न्यायालय ने दिनांक 29.12.2014 को नामान्तरकरण संख्या 253 को खारिज कर वसीयत की जांच कर पुनः इन्तकाल खोलने हेतु रिमाण्ड किया । प्रार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर के निर्णय के विरूद्व न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा में निगरानी संख्या 44/2014 प्रस्तुत की जो कि दिनांक 20.8.2015 को खारिज हो गयी । उसके पश्चात नायब तहसीलदार मण्डाना ने वसीयत की जांच कार्यवाही प्रारम्भ की ।

अप्रार्थी वसीयती गवाह एवं प्रार्थी धनराज के बयान लिये गये, दस्तावेज रिकार्ड पर लिये गये ओर पत्रावली बहस में अन्तिम निर्णित कर दी गई । उसके पश्चात प्रार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, अतिरिक्त संभागीय आयुत दोनों न्यायालय के निर्णय के विरूद्व राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या 6390/2016 प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रारम्भ में स्थगन हुआ और जिसके कारण नायब तहसीलदार की कार्यवाही स्थगित हो गयी, तत्पश्चात राजस्व मण्डल अजमेर से भी दिनांक 31.5.2019 को निगरानी खारिज हो गयी । नायब तहसीलदार मण्डाना में सम्पूर्ण जांच की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है उसके पश्चात प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डाना से तहसील लाडपुरा कोटा में ट्रांसफर करवाया । उक्त प्रकरण में प्रार्थी ऐन केन प्रकारेण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दीवानी वाद की तरह कार्यवाही पूर्ण नहीं होने दे रहा है, माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 29.12.2014 का है, 11 वर्ष हो चुके है, लेकिन माननीय न्यायालय के आदेश की पालना नहीं हो पाई है । उक्त प्रकरण में जब भी बहस हेतु पेशी नियत की जाती है तो प्रार्थी ने वर्ष 2023 में भी ट्रांसफर पीटीशन प्रस्तुत कर दी थी जिसकी वजह से लगभग एक ढेड वर्ष तक अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही स्थगत रही है । अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षकारों से लिखित बहस पेश करने हेतु कहा, जिस पर अप्रार्थी लिखित बहस प्रस्तुत कर चुका है । प्रार्थी को लिखित बहस पेश करनी थी ओर उसने पुनः गलत तथ्यों के आधार पर यह अवेदन प्रस्तुत कर दिया है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जावें कि वह उक्त इन्तकाल की कार्यवाही को अतिशीघ्र सम्पन्न करें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र ग्राम आलनियां के नामान्तरकरण संख्या 253 दिनांक 30.4.2013 की अपील पूर्व में इस न्यायालय में प्रस्तुत होने पर वसीयत की सत्यता की जांच एवं उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य का पूर्ण अवसर देकर विधिक प्रकिया अपनाते हुए नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार लाडपुरा को रिमाण्ड किया गया था, प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दर्ज किया जाकर सुनवाई हेतु विचाराधीन है जिसके मि0नं0 20/2015 उनवान धनराज मित्तल बनाम रामेश्वर सरकार वगै0 है । प्रार्थी की मुख्यरूप से यह आपत्ति है कि तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वसीयत के गवाहों से जिरह का अवसर नहीं दे रहे है तथा प्रकरण में प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र एवं धारा 10 सीपीसी का निर्णय किये बिना हीबहस में नियत कर निर्णय करने पर आमादा होने से अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरण हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । इसके विपरीत वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण 11 वर्ष से तहसीलदार लाडपुरा में विचाराधीन है, तथा जब भी पत्रावली बहस में नियत होती है तो स्थानान्तरण का आवेदन पेश करते है तथा ऐन केन प्रकारेण प्रकरण को लम्बित करना चाहते है । स्थानान्तरण हेतु प्रस्तुत इस प्रार्थना पत्र से पूर्व में भी प्रार्थी द्वारा तहसीलदार लाडपुरा के नामान्तरकरण की कार्यवाही को अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना जाहिर आया है । इस प्रकार तहसीलदार लाडपुरा का उक्त प्रकरण संख्या 20/2015 काफी लम्बे समय से विचाराधीन है, तथा यदि अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो प्रकरण ओर भी विलम्ब होना स्वाभाविक है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं पाते है ।

6. परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है, किन्तु तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि इस न्यायालय के पूर्व निर्णय दिनांक 30.4.2025 से प्रदत्त निर्देशों के कम में विधिक प्रकिया अपनाते हुए तथा प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों को निर्णित करते हुए नजदीकी तारीख पेशी नियत की जाकर रिमाण्ड प्रकरण का शीघ्र निस्तारण कर निर्णय पारित करें ।

7. निर्णय आज दिनांक 16-7.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

नोट :- इस निर्णय के पेरा नं० 6 की तीसरी लाईन में पूर्व निर्णय दि० 29/12/14 के स्थान पर टंकण त्रुटिवश 30/4/2025 टंकित हो गया है। जिसे 152 CPC के प्रा-पत्र आदेश दिनांक 29/7/25 से संशोधन कर दिया है। अतः 30/4/25 के स्थान पर 29/12/14 पढ़ा जाने के आदेश होने से नोट अंकित किया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा